कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / निप्र / नवाचार / 2017–19 / 321 दिनांक : 03.02.2020

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक : 03.02.2020 से 12.02.2020 की समयावधि में **"प्री बोर्ड परीक्षा – 2020"** के आयोजन के दौरान / तत्काल पश्चात् उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन उपरान्त उपचारात्मक शिक्षण बाबत्।

प्रसंग :– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 31.01.2020 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक : 03.02.2020 से 12.02.2020 की समयावधि में आयोज्य **"प्री बोर्ड परीक्षा – 2020"** में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना सम्प्रेषण हेतु विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली मोनिटरिंग के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **"प्री बोर्ड परीक्षा – 2020"** के आयोजन के दौरान / तत्काल पश्चात अग्रांकित निर्देशों की पालना एवं कियान्विति सुनिश्चित करावें :–

1 समस्त विद्यालयों में प्री–बोर्ड परीक्षा आयोजन के साथ–साथ सम्पन्न परीक्षा से सम्बन्धित विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सम्बन्धित विषयाध्यापकों द्वारा तत्काल सम्पादित करते हुए विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक लब्धि के आधार पर काठिन्य बिन्दुओं की पहचान एवं विश्लेषण का कार्य भी सम्पन्न किया जावे। उक्तानुरूप प्री बोर्ड परीक्षा आयोजन के तत्काल पश्चात् अथवा तृतीय परख के दौरान विद्यार्थियों / अभिभावकों को उत्तरपुस्तिका अवलोकन करवाया जाकर पारस्परिक विमर्श उपरान्त उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार विषयवार कार्ययोजना निर्मित करवाई जाए। तद्नुसार तृतीय परख के उपरान्त / परीक्षा तैयारी अवकाश के दौरान रेमेडियल क्लासेज / अतिरिक्त कक्षा / सुपरवाइज्ड स्टडी का आयोजन किया जाकर प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक / अधिगम स्तर उन्नयन की सुनिश्चितता करावें।

2 सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना एवं कियान्विति के सम्बन्ध में नित्यप्रति प्रबोधन करते हुए अधीनस्थ संस्थाप्रधानों को समुचित सम्बलन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। विभागीय पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय परिवीक्षण / निरीक्षण / अवलोकन के दौरान उपर्युक्त निर्देशों की पालना एवं प्रगति के सम्बन्ध में संस्थाप्रधान / विषयाध्यापकों के साथ पारस्परिक चर्चा एवं विमर्श तथा समीक्षा की सुनिश्चितता करावें।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की समयबद्ध पालना एवं कियान्विति सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित की जावे।

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव , स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव,राजस्थान,जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान,बीकानेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
6. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु ।
11. समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
12. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) / संस्था प्रधान–राउमावि / रामावि ।
13. सहायक निदेशक (शाला दर्पण), कार्यालय हाजा को "शाला दर्पण पोर्टल" पर अपलोड करने हेतु ।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर